**न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर**

**पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0**

**पंचायत आवेदन पत्र संख्या 02/2014**

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| रतनलाल पुत्र प्रेमचन्द जाति सोनी निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर | | 1. ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी जरिये सरपंच पंचायत समिति बालोतरा<br>2. दरिया देवी पत्नी चम्पालाल जाति नाई निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा<br>3. सुरेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति नाई निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा |

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 90 दिनांक 30.7.2009 जो ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित।
2.विप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक 15.6.2016**

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 90 दिनांक 30.7.2009 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने सरंपच ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी की आबादी भूमि पर उसका कब्जा है, जिस पर आवास हेतु विक्रय विलेख प्रदान कराया जावें। इस पर ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी ने पत्रावली कायम कर विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को नियम 156(1)(क) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 90 दनांक 30.7.2009 जारी किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को नियम 156 के प्रावधानों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है। इसलिए विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावें।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम् पंचायत पचपदरा सिटी से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित रहे।

5. प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत ने विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को यह पट्टा नियम 156 (1)(क) के तहत जारी करना बताया। नियम 156 (1) के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमि का विक्रय करने का प्रावधान है एवं उप नियम (क) अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहॉं किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है। ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा सार्वजनिक चौक व रास्ते की भूमि में से 68.11 वर्ग गज का विक्रय विलेख संख्या 90 दिनांक 30.7.2009 विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक चौक व रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी ने नियम 156 की अवहेलना कर पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त किया जावें।

6. विप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने जाहिर किया कि ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा जिस प्लॉट का पट्टा जारी किया गया है, उस पर उनका परिवार पुश्तैनी रह रहा है, इस पर कब्जा व मालिकाना हक उनका है। उक्त प्लॉट पर पूर्व में बना मकान कच्चा एवं नीचे बना हुआ होने के कारण, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.12.2013 को विविधत राशि जमा कर, भवन निमार्ण की स्वीकृति प्रदान की गई तथा ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा जारी पट्टा उप पंजीयक पचपदरा द्वारा रजिस्टर्ड है।

7. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली व ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी से प्राप्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया। ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी ने विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को यह पट्टा नियम 156 (1)(क) के तहत विधिवत कार्यवाही कर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को पूर्व में बने मकान के स्थान पर नया मकान निर्माण करने की स्वीकृति के संबंध में राशि रसीद संख्या 44/4322 दिनांक 23.12.2013 से जमा कर भवन निर्माण की अनुमति दी गई तथा पट्टा विलेख उप पंजीयक पचपदरा द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है। उप पंजीयक द्वारा रजिस्टर्डसुदा पट्टा को अब खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. उपरोक्त् विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 90 दिनांक 30.7.2009 को यथावत रखा जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले केम्प कोर्ट पचपदरा में आज दिनांक 15.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)